न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बड़गोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

पत्र संख्या–47/2024
पत्र प्रविष्टि दिनांक–30.07.2024
र्णय दिनांक–08.04.2025

वेन्द राम पुत्र बक्सा जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

सीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

वक्ता प्रार्थी–श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0
श्री हेमराज गुर्जर एड

र्थी–तहसीलदार पीपलू (पैरोकार सरकार)

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 रकबा 0.7713 हैक्ट., ख0न0 194 रकबा 0.8725 हैक्ट., ख0न0 168/2 रकबा 0.5817 हैक्ट. वाके इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। ख0न0 183 वाके ग्राम ीमाबाद भूमि जब नाम लगी तो गोमदा पुत्र हरबक्ष दर्ज करवा दिया गया एवं भूमि आराजी ख0न0 रकबा 0.8725 हैक्ट. व ख0न0 168/2 रकबा 0.5817 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद में स्थित भूमि नाम लगी तो प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा दर्ज करवा दिया गया। जबकि प्रार्थी का सही गोविन्दराम पुत्र बक्सा है तथा उसके सम्पूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, बैक पासबुक, जनआधार कार्ड में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र बक्सा है। प्रार्थी को गांव में गोविन्द राम पुत्र बक्सा के नाम से ही ते व पहचानते हे तथा गोमदा प्रार्थी के बचपन का बोलता नाम है। गांव में गोमदा पुत्र हरबक्ष व न्दराम पुत्र श्रीबक्षा के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है तथा प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र बक्सा है, जो सही है। लेकिन अन्य राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से गोविन्दराम पुत्र ा की जगह गोमदा पुत्र हरबक्ष व गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा अंकित कर दिया गया। जिसको दुरूस्त

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

वाने का प्रार्थी अधिकारी है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोमदा पुत्र हरबक्ष व गोविन्दराम पुत्र क्षा अंकित किया गया जो एक लिपिकीय त्रुटी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की ख0न0 रकबा 0.7713 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद भूमि जब नाम लगी तो गोमदा पुत्र हरबक्ष दर्ज करवा गया एवं भूमि आराजी ख0न0 194 रकबा 0.8725 हैक्ट. व ख0न0 168/2 रकबा 0.5817 हैक्ट. वाके इब्राहीमाबाद में स्थित भूमि जब नाम लगी तो प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा दर्ज करवा दिया । इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोमदा पुत्र हरबक्ष व न्दराम पुत्र श्रीबक्षा के स्थान पर गोविन्द राम पुत्र बक्सा किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी ीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत निवेदन किया की खाता संख्या 31 में वर्णित ख0न0 183 में गोमदा पुत्र हरबक्ष जाति जाट सा.देह दार दर्ज रिकॉर्ड है व नामान्तकरण संख्या 104 में भी गोमदा पुत्र हरबक्ष दर्ज है। जमाबंदी में तकरण के अनुसार ही इन्द्राज है, जो सही है। ग्राम इब्राहीमाबाद के खाता संख्या 35 में वर्णित 194 रकबा 0.8725 हैक्ट. गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है, जो तकरण 117/1 के अनुसार जमाबंदी में इन्द्राज है। ग्राम इब्राहीमाबाद के खाता संख्या 36 में वर्णित 168/2 रकबा 0.5817 हैक्ट. गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा जाति जाट सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, ामान्तकरण संख्या 201 में दर्ज प्रविष्टी के अनुसार जमाबंदी में इन्द्राज है। उपरोक्त वर्णित ीयात वादी की क्रयशुदा भूमि है, जो जरिये नामान्तकरण संख्या 104, 117/1 व 201 से स्वीकृत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। जिसमें किसी प्रकार की विधिवत् त्रुटी नही है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। क्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी 183, 194, 168/2 ग्राम इब्राहीमाबाद में स्थित है। ख0न0 183 वाके ग्राम इब्राहीमाबाद भूमि जब लगी तो गोमदा पुत्र हरबक्ष व भूमि आराजी ख0न0 194 रकबा 0.8725 हैक्ट. व ख0न0 168/2 0.5817 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद में स्थित भूमि में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा दर्ज दिया गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम गोविन्दराम पुत्र बक्सा है तथा उसके सम्पूर्ण दस्तावेज कार्ड, बैक पासबुक, जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र बक्सा है। प्रार्थी को गोविन्द राम पुत्र बक्सा के नाम से ही जानते व पहचानते है तथा गोमदा प्रार्थी के बचपन का नाम है। गांव में गोमदा पुत्र हरबक्ष व गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही जस्व रिकॉर्ड में संहवन से गोविन्दराम पुत्र बक्सा की जगह गोमदा पुत्र हरबक्ष व गोविन्दराम पुत्र अंकित कर दिया गया। अतः भूमि आराजी ख0न0 183 में प्रार्थी का नाम गोमदा पुत्र हरबक्ष एवं

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

आराजी ख0न0 194 व ख0न0 168/2 ग्राम इब्राहीमाबाद में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा के पर गोविन्द राम पुत्र बक्सा दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया की खाता संख्या 31 में वर्णित ख0न0 183 में गोमदा ऽरबक्ष जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है व नामान्तकरण संख्या 104 में भी गोमदा पुत्र दर्ज है। जमाबंदी में नामान्तकरण के अनुसार ही इन्द्राज है, जो सही है। ग्राम इब्राहीमाबाद के संख्या 35 में वर्णित ख0न0 194 रकबा 0.8725 हैक्ट. गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा जाति जाट सा.देह ार दर्ज रिकॉर्ड है, जो नामान्तकरण 117/1 के अनुसार जमाबंदी में इन्द्राज है। ग्राम इब्राहीमाबाद ाता संख्या 36 में वर्णित ख0न0 168/2 रकबा 0.5817 हैक्ट. गोविन्दराम पुत्र श्रीबक्षा जाति जाट सा. नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जो नामान्तकरण संख्या 201 में दर्ज प्रविष्टी के अनुसार जमाबंदी में इन्द्राज परोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की क्रयशुदा भूमि है, जो जरिये नामान्तकरण संख्या 104, 117/1 से स्वीकृत होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटी नही होती है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किये ोग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया व की बहस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त वर्णित आराजीयात भूमि ख0न0 183 एवं भूमि आराजी ख0न0 194 व ख0न0 168/2 ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का जरिये नामान्तकरण संख्या 104, 117/1 व 201 से स्वीकृत होकर राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी के नाम रामद हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीपलू उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी की क्रयशुदा मुताबिक विक्रयपत्र अनुसार ही प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ है। जिसमें कार की त्रुटी कारित नही की गई है। प्रस्तुत प्रकरण दुरूस्ती इन्द्राज योग्य नही है। प्रार्थना पत्र एवं तथ्यहीन है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज ता है। निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

([illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner